न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख अधिकारी, धोरीमना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या : 14/2023

प्रार्थीगण

1. गंगाराम पुत्र जीवा
2. सिणगारी पत्नी जीवा
3. हरदान पुत्र जीवा
   जातियान विश्नोई निवासी
   विरमाणियों की ढाणी चैनपुरा
   तहसील धोरीमन्ना

बनाम

विप्रार्थीगण

1. जगमाल पुत्र काछबा
2. सोना पुत्र जगमाल
3. इन्दू पत्नी पन्ना
4. भगवाना पुत्र भारमल
5. बाबु पुत्र भारमल
   निवासी विरमाणियों की ढाणी चैनपुरा
   तहसील धोरीमन्ना
6. हड़वन्ता पुत्र अमलखा
7. धीमा पुत्र आईदान
8. आसु पुत्र विरमा
   निवासी ढाको का गोलिया
9. तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू : 24.01.2023

उपस्थित :– श्री गंगाराम विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी व श्री मदनलाल अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 04

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 30.04.2024

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गंगाराम विश्नोई द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 87 रकबा 4.5082 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम एवं खसरा नम्बर 87/3 रकबा 4.4192 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम मौजा वीरमाणियों की ढाणी पटवार मण्डल चेनपुरा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी व नक्शा साथ पेश है। प्रार्थीगण की उपरेक्त भूमि के सेढ़ा–सेढ़ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें या सीमा चिह्न नहीं होने के कारण प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार सम्बन्धी खेतों के सेढ़ों को लेकर [illegible] तनाजा एवं विवाद बना रहता है। काश्त के समय विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की [illegible] की भूमि में हस्तक्षेप कर प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन [illegible] के समय लड़ाई फंसाद की आशंका रहती है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि का [illegible] समय पर उपयोग नही [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:26:24 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

रहे है, इसलिए प्रार्थीगण हमेशा के लिए भूमि के सेढ़ों के विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 13.10.2022 को करवाया गया था परन्तु मौके पर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान को विप्रार्थीगण नही मान रहें है, जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना ने श्रीमान् के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर नेखमबन्दी का यह आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण नेखमबन्दी सम्बन्धी मौके पर नेखम सामग्री उपलब्ध एवं नेखमबन्दी सम्बन्धी फीस अदा करने को तैयार है। विवादित खेत मौजा वीरमाणियों की ढाणी पटवार मण्डल चेनपुरा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित होने के कारण यह नेखमबन्दी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– के साथ पेश है। अतः श्रीमान् जी के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का खातेदारी के खेत ग्राम वीरमाणियों की ढाणी पटवार मण्डल चेनपुरा तहसील धोरीमन्ना के खसरा नम्बर 87 रकबा 4.5082 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम एवं खसरा नम्बर 87/3 रकबा 4.4192 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम के चारों तरफ पक्की नेखबन्दी/पत्थरगढ़ी का आवेदन स्वीकार कर आवश्यकतानुसार मय पुलिस ईमदाद से करवाने का आदेश फरमाने की कृपा करावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टंर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 08 को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए, भिजवाऐ गये नोटिसों की डाक रसीदें मय डिलीवरी रिपोर्ट प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश की, विप्रार्थीगण को नोटिस भेजे गए एक माह से ज्यादा समय होने के कारण दिनांक 26.03.2024 को विप्रार्थी संख्या 01 से 03 व 05 से 08 के हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई के आदेश दिए गए। विप्रार्थी संख्या 04 के वकील को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने एवं दिनांक 26.03.2024 को अन्तिम से अन्तिम अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नही किया। न्यायालय हाजा ने दिनांक 26.04.2024 को विप्रार्थी संख्या 04 का जवाब बन्द कर दिया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि मौजा वीरमाणियों की ढाणी पटवार मण्डल चेनपुरा तहसील धोरीमन्ना के खसरा नम्बर 87 रकबा 4.5082 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम एवं खसरा नम्बर 87/3 रकबा 4.4192 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रेकर्ड है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 11.10.2022 को पटवारी हल्का द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:26:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

खसरा संख्या 87 व 87/3 के सीमाज्ञान हेतु प्रयास किय गया, लेकिन पड़ौसी खातेदारान द्वारा सीमाज्ञान की कार्रवाई के दौरान सीमाज्ञान करने से मना कर दिया गया, प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की मातें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 87 रकबा 4.5082 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम एवं खसरा नम्बर 87/3 रकबा 4.4192 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

– : : आदेश : : –

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भली–भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम वीरमाणियों की ढाणी पटवार मण्डल चेनपुरा तहसील धोरीमन्ना के खाता संख्या 59 के खसरा संख्या खसरा नम्बर 87 रकबा 4.5082 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम एवं खसरा नम्बर 87/3 रकबा 4.4192 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर, सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे–खर्चे से उसके खसरा नम्बर 87 रकबा 4.5082 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम एवं खसरा नम्बर 87/3 रकबा 4.4192 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:26:24 IST
Reason: SelfAttested

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner